



(मा. स्वीकृत पत्र)

ANNEXURE-6

मानचित्र संख्या

828/MP/11

361/TMA/CH/2010-11

दिनांक 24/1/2011

श्रीप्रति/श्री. मैसर्स सुपर रियल्टी प्रा. लि. नाएडिपेंडर की धर्मेश चन्द्र अग्रवाल उम्र कीदेवी सुताप अग्रवाल निवासी-82 सुप्रनिमित्त, दिल्ली।नाए डिपेंडर रजिस्ट्री की प्रतेंवर सुपर

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 31/5/2010 के संदर्भ में आपके प्रस्तावित गुप्त रजिस्ट्री भवन की मोहल्ला/कालोनी/ग्राम देवी सुताप अग्रवाल पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पांच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, (जी. डी.ए.) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की संख्या आंक लिखना अनिवार्य होगा।
7. बिजली की लाइन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेसिफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा। बिधुत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 25/5/2011 का पालन करना होना होना ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
14. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 50 पेड़ फिट लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटोप रेनवाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्पसोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि ग्रह, विश्राम ग्रह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैंकवेत हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करनी होगी।

19- साथ से संलग्न अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा

संलग्नक :

समस्त प्रकार के भवन/सुपर की सुरक्षा

1. दो सैट स्वीकृत मानचित्र विभिन्न स्तरो पर समस्त दीवारों के ऊपरआवश्यक अन्य सर्व सम्बन्धित प्रकार के कार्य

सी0ए0टी0पी0

गाजियाबाद

Pest Super Realtech Pvt. Ltd.

Director

1. महायोजना सड़क के मध्य से 22.5 मी. दूरी के उपरान्त ही प्रश्नगत सम्पत्ति की बाउन्ड्रीवाल का निर्माण एवं तदोपरान्त सैटबैक्स मेन्टेन करते हुए ब्लॉक्स का निर्माण किया जा सकेगा।
2. प्रदूषण विभाग की अनापत्ति पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
3. फायर विभाग द्वारा जारी अनापत्ति में दर्शित मानकों का पालन करना होगा।
4. प्रत्येक ब्लॉक के रूफ टॉप हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान अनिवार्य रूप से करना होगा।
5. प्रस्तावित स्कूल का प्लान स्वीकृत कराये जाने के उपरान्त ही उक्त स्थलों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
6. प्रस्तुत अन्डरटेकिंग के क्रम में बाह्य विकास कार्यों के सम्बन्ध में जल निगम/अन्य बाह्य विकास एजेन्सी से समन्वय स्थापित कर तदनुसार अपने प्लान व लेवल आदि का निर्धारण किया जायेगा तथा बाह्य विकास के मद में जल निगम अथवा अन्य एजेन्सी यथा प्राधिकरण, नगर पालिका परिषद लोनी आदि द्वारा वास्तविक बाह्य विकास के मद में अन्य शुल्कों की माँग की जाती है तो उसका भुगतान पक्ष को करना होगा अन्यथा मानचित्र की स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी। जब तक जल निगम/अन्य एजेन्सी द्वारा बाह्य विकास कार्य पूर्ण नहीं किया जाता तब तक अन्तिम डिस्पोजल की जिम्मेदारी पक्ष की ही होगी तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र अन्तिम डिस्पोजल के उपरान्त ही दिया जायेगा।
7. समस्त विकास कार्य पी.डब्लू.डी. व जल निगम के मानकों के अनुरूप कराना होगा एवं शमन/पूर्णता प्रमाण-पत्र आवेदन के समय पी.डब्लू.डी. व जल निगम विद्युत विभाग की अनापत्ति, कार्य के गुणवत्ता के सम्बन्ध में, भी प्रस्तुत करनी होगी।
8. विकास कार्य अनुरक्षण एजेन्सी यथा नगर पालिका परिषद लोनी आदि को विकास कार्यों को हस्तान्तरित किये जाने के उपरान्त ही पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
9. पार्किंग स्थल का उपयोग मात्र पार्किंग हेतु किया जायेगा अन्य निर्माण शमनीय नहीं होगा। स्टिल्ट की ऊँचाई फर्श से बीम बॉटम तक 2.10 मी. होगी। ऊँचाई बढ़ाये जाने की दशा में इसकी गणना एफ.ए.आर. में की जायेगी।
10. निर्माण भूकम्परोधी कराये जाने हेतु प्रस्तुत वेटेक डिजाईन ड्राइंग के अनुसार अर्हता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देख-रेख में करना होगा।
11. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य पूर्ण कराना होगा। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व किसी भी आवंटी को भवन के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। सम्पूर्ति प्रमाण पत्र के साथ फायर विभाग का पूर्णता प्रमाण पत्र, बाह्य विकास/आन्तरिक विकास का पूर्णता प्रमाण पत्र, निर्माण भूकम्प विरोधी कराये जाने का प्रमाण पत्र व लिफ्ट के कियान्वयन सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्रस्तुत करनी होगी।
12. सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे एवं प्रदर्शित ग्रीन यथावत रखना होगा एवं उसका रखरखाव भी करना होगा।
13. एल.एम.सी./नगर निगम की भूमि पर कोई मानचित्र स्वीकृति नहीं दी जा रही है। प्रश्नगत भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरोड, ग्राम समाज/सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी

विकास प्राधिकरण का सूचित करना होगा।

14. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोधी हेतु प्रस्तुत स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्राइंग जो आई.आई.टी रुड़की/दिल्ली से वैट कराकर प्रस्तुत किया गया है के अनुसार स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 03.02.01, 772/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-1-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-

(क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थायें करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।

(ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियों सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रेट, ईटें, कोर्स सैंड एवं मार्टर तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण

सामग्रियों की नियमित सैंपलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।

(ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक किमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट X 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :-

1. नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति
2. अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ
3. अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनायें एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त

4. भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एन्ड पी. का विवरण
5. साईट इंजीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
6. सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
15. विभिन्न विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/प्रतिबन्धों का पालन करना होगा।
16. कन्वीनियन्ट शॉप के अतिरिक्त किसी भी भाग का उपयोग व्यावसायिक/दुकानों के रूप में नहीं किया जायेगा एवं कन्वीनियन्ट शॉप के अतिरिक्त दर्शित शेष भाग खुला रखा जायेगा अर्थात् शटर इत्यादि लगाया जाना अनुमन्य नहीं होगा। उपरोक्त स्थलों पर शोरूम बैंक ऑफिस होटल अथवा अन्य कॉमर्शियल प्रकृति का निर्माण/उपयोग अनुमन्य नहीं होगा। इस प्रकार के प्रयोग को भू-उपयोग के विरुद्ध माना जायेगा।
17. स्टिल्ट पर दर्शाये गये पार्किंग प्लान में निर्माण के समय पार्किंग प्लान के अनुसार ग्रीड/पिलरों की दूरी रखी जायेगी तथा शमन/पूर्णता प्रमाण पत्र के समय ग्रीड सहित पार्किंग प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
18. यदि भविष्य में रजिस्ट्री कृषि के रूप में कराये जाने पर कोई विवाद होता है तो इसका पूर्ण दायित्व निर्माणकर्ता का होगा। प्राधिकरण द्वारा महायोजना में इंगित लैण्ड यूज के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
19. स्थल के आस-पास अन्य-भू-उपयोग दर्शित है। अतः निर्माण के समय एवं निर्माणोपरान्त तहसील से इस आशय की पुष्टि एवं अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी कि निर्मित भाग सजरे पर प्रतिस्थापित भाग के अनुसार ही है। अर्थात् स्थल पर निर्माण सजरा प्लान में दर्शाये गये स्थल पर ही करना होगा अन्यथा दी गयी स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
20. स्कूल का निर्माण अधिकतम भू-आच्छादन 2000.00 वर्गमी. का 35 प्रतिशत अर्थात् 700 वर्गमी. एवं अनुमन्य एफ.ए.आर. 0.80 अर्थात् 1600.00 वर्गमी. के अन्तर्गत किया जाना आवश्यक होगा। उक्त एफ.ए.आर. अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा। अर्थात् 1600.00 वर्गमी. एफ.ए.आर. के उपरान्त ही अवशेष आवासीय एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा।
21. किशतों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :-
बाह्य विकास शुल्क :-

दिनांक	मूल धनराशि	12 % ब्याज प्रतिवर्ष	कुल योग
29.06.2011	76,99,894.00	27,71,962.00	1,04,71,856.00
29.12.2011	76,99,894.00	23,09,968.00	1,00,09,862.00
29.06.2012	76,99,894.00	18,47,974.00	95,47,868.00
29.12.2012	76,99,894.00	13,85,981.00	90,85,875.00
29.06.2013	76,99,894.00	9,23,987.00	86,23,881.00
29.12.2013	76,99,892.00	4,61,994.00	81,61,886.00
	4,61,99,362.00	97,01,866.00	5,59,01,228.00

सिटी डवलपमेन्ट चार्ज :-

दिनांक	मूल धनराशि	12 % ब्याज प्रतिवर्ष	कुल योग
29.06.2011	32,60,992.00	11,73,957.00	44,34,949.00
29.12.2011	32,60,992.00	9,78,298.00	42,39,290.00
29.06.2012	32,60,992.00	7,82,638.00	40,43,630.00

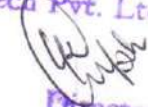
100 - 100 - 100 - 100

29.12.2013	32,60,992.00	1,95,660.00	34,56,652.00
	1,95,65,952.00	41,08,851.00	2,36,74,803.00

- i. भविष्य में यदि सिटी डवलपमेन्ट चार्ज/बाह्य विकास शुल्क के मद में शासन द्वारा यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो वह इस पर प्रभावी नहीं होगा तथा समस्त सूचित धनराशि पक्ष द्वारा निर्धारित समय अनुसार जमा करानी होगी।
 - ii. यदि इस समयावधि में शमन कराया जाता है अथवा परचेज एफ.ए. आर. लिया जाता है तो पहले समस्त धनराशि पूर्ण रूप से पक्ष को जमा करानी होगी।
 - iii. किश्तें समय से न दिये जाने पर नियमानुसार दण्ड ब्याज देय होगा।
 - iv. सिविलीटी बॉन्ड के रूप में प्रस्तावित भूमि पर बिल्डर द्वारा निर्माण किया जा सकता है किन्तु उक्त पर निर्मित फ्लैट्स को पूर्ण भुगतान होने तक विक्रय का अधिकार नहीं होगा।
 - v. किश्तों का भुगतान समयान्तर्गत न होने पर भूमि/भवन को विक्रय कर वसूली करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा। यदि भविष्य में पूर्ण धनराशि की प्राप्ति नहीं होती है तो अवशेष धनराशि बिल्डर की अन्य सम्पत्ति को विक्रय कर अथवा भू-राजस्व के बकाया के रूप में नियमानुसार वसूल की जायेगी।
 - vi. यदि बैंक से उक्त भूमि पर ऋण प्राप्त किया जाता है तो वसूली की दशा में प्रथम अधिकार प्राधिकरण का होगा।
 - vii. दो किश्तों का भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण को मानचित्र निरस्त करने का अधिकार होगा।
 - viii. स्थल के बाह्य विकास के समय यदि जल निगम अथवा किसी अन्य विभाग, जिसके द्वारा बाह्य विकास कार्य किया जायेगा, द्वारा कोई अतिरिक्त धनराशि की माँग की जाती है तो उक्त धनराशि भी पक्ष द्वारा देय होगी।
 - ix. बाह्य विकास जब तक उपलब्ध नहीं होता तब तक अन्तिम डिस्पोजल की पूर्ण जिम्मेदारी बिल्डर की होगी तथा इस आधार पर बाह्य विकास के मद में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।
22. दिये गये शपथ-पत्र के अनुसार 15मी. से अधिक ऊँचाई का निर्माण हिन्डन एयर बेस की अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त प्राधिकरण से पृथक से अनुमति प्राप्त करना होगा। अधिकतम ऊँचाई के सम्बन्ध में स्वीकृत मानचित्र के सापेक्ष अन्यथा प्राप्त होने वाली अनापत्ति की स्थिति में संशोधित/पुनरीक्षित मानचित्र प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यदि एयरपोर्ट एथोरिटी की आपत्ति/अनापत्ति से उक्त स्वीकृति प्रभावित होती है अथवा एयरपोर्ट द्वारा अधिकतम 3 माह में अनापत्ति उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो मानचित्र निरस्त माना जायेगा अथवा एयरपोर्ट विभाग की अनापत्ति में उल्लिखित ऊँचाई के अन्तर्गत ही मान्य होगा।

AV G 

For Super Realtech Pvt. Ltd


Director



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

शमन/स्वीकृत पत्र

पत्रांक- 05 / प्रवर्तन जोन-8/2017

दिनांक - 10/04/2017

सेवा में,

श्री यतेन्द्र गुप्ता (डायरेक्टर)

मै0 सुपर रियलटैक प्रा0लि0,

ए-191 सूरजमल विहार, दिल्ली-110092

विषय :- खसरा संख्या-2047 से 2054 एवं 2115 से 2117, ग्राम-बेहटा हाजीपुर, लोनी, गाजियाबाद पर निर्मित ऑक्सी होम ग्रुप हाउसिंग योजना के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय शमन आवेदन पत्र दिनांक 11.11.2016 शपथ पत्र एवं संलग्न शमन मानचित्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके आवेदन पर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 19.11.2017 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि रू0 1,46,07,001.00 (एक करोड़ छियालिस लाख सात हजार एक रुपये मात्र) दिनांक 16.03.2017 को प्राधिकरण कोष में पूर्व में जमा अधिक धनराशि समायोजित किये जाने पर शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

शर्त :-

1. भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।
2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार सम्पूर्ति प्रमाण-पत्र लेने से पूर्व मौके पर सुनिश्चित करनी होगी।
3. स्वीकृत शमन मानचित्र में स्वीकृति आच्छादन के अनुसार आवश्यक वृक्षारोपण सुनिश्चित करना होगा।
4. शपथ पत्र दिनांक 11.11.2016, 09.01.2017, 01.04.2017 व 07.04.2017 में दिये गये बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
5. उपरोक्त बिन्दु 02 से 04 तक की शर्तों के अनुपालन के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार्य होगा।
6. भवन स्ट्रक्चरल सेफ्टी के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. शमन उपरान्त स्वीकृत इकाईयों से अधिक इकाईयों का निर्माण नहीं करेंगे।
8. मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-43362/2001 एवं 2435 एम.बी./2001 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना होगा।
9. शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी।
10. शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य प्रया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

For Super Realtech Pvt. Ltd

10/4/17

Director

11. शमनित भवन की गुणवत्ता, मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल, डिजाईन आदि में कमी अथवा किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा परिसर में कोई दुर्घटनाएं होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
 12. समस्त विकास कार्य पी.डब्ल्यू.डी. व जल निगम के मानकों के अनुरूप कराना होगा एवं पूर्णता प्रमाण पत्र आवेदन के समय पी.डब्ल्यू.डी. व जल निगम, विद्युत विभाग की अनापत्ति, कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत करनी होगी।
 13. एल.एम.सी./नगर निगम की भूमि पर कोई मानचित्र स्वीकृति नहीं दी जा रही है। प्रश्नगत भूमि के अन्दर यदि कोई नाली/नाला, चकरोड, ग्राम समाज/सरकारी भूमि पायी जाती है तो उसके क्षेत्रफल के बराबर अपने स्वामित्व वाली भूमि में एक तरफ एकजाई करके छोड़नी होगी, जिसकी अनापत्ति नगर आयुक्त नगर निगम एवं जिलाधिकारी गाजियाबाद से प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी तथा प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
 14. आवेदक को भवन अपार्टमेंट एक्स 2010 में दिये मानकों/शर्तों एवं अन्य विभागों द्वारा जारी अनापत्ति पत्रों में दिये गये निर्देशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
 15. कन्वीनियन्ट शॉप के अतिरिक्त किसी भी भाग का उपयोग व्यवसायिक/दुकानों के रूप में नहीं किया अर्थात शटर इत्यादि लगाया जाना अनुमन्य नहीं होगा। उपरोक्त स्थलों पर शोरूम बैंक ऑफिस, होटल अथवा अन्य कार्मिशियल प्रकृति का निर्माण/उपयोग अनुमन्य नहीं होगा। इस प्रकार के प्रयोग को भू-उपयोग के विरुद्ध माना जायेगा।
 16. पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किये जाने से पूर्व स्थल पर स्वीकृत शमन मानचित्र में दर्शायी गयी मैकेनिकल पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
 17. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-398/प्रवर्तन जोन-8/जी0एच0/2012-13 में दी गयी शर्तों एवं उपरोक्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
 18. उपरोक्त शर्तें शमन मानचित्र की पुस्त पर भी चस्पा कर दी गयी है।
कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- संलग्नक : शमन मानचित्र की एक सैट
उपरोक्तानुसार।

Fox Super Realty Pvt. Ltd

Director

अवर अभियन्ता (प्रवर्तन)
(Sushil Verma)

सहायक अभियन्ता (प्रवर्तन-8)